सं0-13006/2/2023-ESTB_SEC-DoLRS-DOLRS

I/88886/2023

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 256–। दिनांक 25.08.2023 द्वारा श्री विजय कुमार मिश्रा, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03589) के विरूद्ध दिनांक 14.07.2023 से प्रतिवेदित तिथि तक अनाधिकृत अनुपस्थित रहने की सूचना दी गयी है। प्राप्त सूचना के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 8279 दिनांक 29.09.2023 द्वारा श्री मिश्रा से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के विरूद्ध स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 14.07.2023 को शिविर आने के क्रम में इनका Road Accident हो गया है, जिसमें इनके पैर, चेस्ट एवं स्पाईन में काफी चोट आयी है, जिसके कारण डॉक्टर द्वारा इन्हे बाईक न चलाने एवं आराम करने की सलाह दी गयी है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्ण रूप से स्वस्थ्य होने के पश्चात् ये शिविर में योगदान कर लेंगे।

प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संलग्न चिकित्सीय प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया है। अवलोकनोपरांत इनके स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निदेशालय आदेश संख्या 685 दिनांक 17.03.2022 द्वारा निर्गत अवकाश संबंधी प्रावधान के आलोक में दिनांक 14.07.2023 से 12.08.2023 तक अवैतनिक अवकाश एवं योगदान करने की तिथि तक कार्य नही तो मानदेय नहीं के सिद्धान्त पर अवकाश स्वीकृत करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाता है।

Signed by Jai Singh
Date: 13-11-2023 10:59:13

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

प्रतिलिपि :–

1. बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. श्री विजय कुमार मिश्रा, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03589), बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत संधारित श्री मिश्रा की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।